ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, मंगलवार 29 सितम्बर 2026

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 3 अंक 153

72 घंटे की जलापूर्ति पर विधायक जैन की दो टूक, 48 घंटे में पानी देने पर अधिकारियों ने दिया भरोसा



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। शहर में 72 घंटे के अंतराल पर जलापूर्ति करने के जलदाय विभाग के निर्णय के बीच मंगलवार को विधायक ताराचंद जैन की अध्यक्षता में जलदाय विभाग के अधिकारियों और नगर निगम के भाजपा पार्षदों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विधायक ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए शहर में मौजूदा 48 घंटे के अंतराल वाली जलापूर्ति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी स्तर पर प्रयास कर 48 घंटे में ही पानी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। बैठक में विधायक ताराचंद जैन ने 72 घंटे के अंतराल पर जलापूर्ति के निर्णय को लेकर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान शहरवासियों को पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, इसलिए वर्तमान में चल रही 48 घंटे के अंतराल वाली व्यवस्था को ही बनाए रखने के प्रयास किए जाएं। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि इस बार पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण जल स्रोतों में पानी की संभावित कमी को देखते हुए जल उत्पादन में कटौती की आवश्यकता बनी थी। इसी के चलते 72 घंटे के अंतराल पर जलापूर्ति का निर्णय लिया गया था। विधायक द्वारा 48 घंटे में जलापूर्ति जारी रखने पर जोर दिए जाने के बाद अधीक्षण अभियंता ने बताया कि विभाग तकनीकी टीम गठित कर व्यवस्था की समीक्षा करेगा और 48 घंटे के अंतराल में ही जलापूर्ति बनाए रखने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान शहरवासियों को पानी की परेशानी नहीं होने देने के प्रयास किए जाएंगे। अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही भविष्य में 72 घंटे के अंतराल वाली व्यवस्था लागू करने की बात कही गई।

जल स्रोतों को मजबूत करने के प्रस्ताव बैठक में जल स्रोतों के संवर्धन और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। अधीक्षण अभियंता रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि बड़ी झील से पटेल सर्कल तक पानी लाने, जयसमंद योजना की पुरानी और जर्जर पाइपलाइन बदलने, कुओं व बावड़ियों से जल उत्पादन बढ़ाने तथा नए नलकूपों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय जयपुर भेजे गए हैं। विधायक ताराचंद जैन ने इन प्रस्तावों को सरकार से जल्द स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को शहर के सभी क्षेत्रों में समान और सुचारू जल वितरण सुनिश्चित करने, लीकेज रोकने, अवैध जल कनेक्शनों की पहचान कर कार्रवाई करने तथा पानी के अनावश्यक अपव्यय पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

पुराने जल स्रोतों को फिर से शुरू करने पर जोर

विधायक ने पुराने नलकूपों, हैंडपंप, बावड़ियों और पनघटों को पुनः चालू कर जल उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आमजन से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की। बैठक में जल संरक्षण को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में अधीक्षण अभियंता रवीन्द्र कुमार चौधरी, अधिशाषी अभियंता नगर खंड प्रथम जेराराम, अधिशाषी अभियंता नगर खंड द्वितीय सृष्टि मेनारिया, जलदाय विभाग के सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता सहित पार्षद आकाश वागरेचा, यशवंत आंचलिया, पंकज बोराणा, नरेश वैष्णव, दीपक नागदा, कुंदन चौहान, शंकर कसेरा, लोकेश साहू, निधि गोदा, कुलदीप मेहता, सतीश शर्मा, राजेंद्र परिहार, मनोज साहू, राजेंद्र खगरेचा, वीरेंद्र सिसोदिया, रचना शर्मा, निशा सालवी और वंदना प्रजापत सहित अन्य उपस्थित रहे।

राजसमंद में ACB का बड़ा ट्रैप, 25 लाख की रिश्वत लेते दो निजी दलाल गिरफ्तार



24 न्यूज अपडेट

राजसमंद। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार को बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की कथित रिश्वत लेते दो निजी दलालों को पकड़ा है। कार्रवाई 100 फीट रोड पर की गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अनिल पारीक और सुनील पारीख के रूप में सामने आई है। परिवादी पर करीब 3 करोड़ रुपए का CGST नोटिस था। आरोप है कि इस मामले में राहत दिलाने के एवज में 60 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी ने इसकी शिकायत ACB से की। शिकायत के सत्यापन के बाद मंगलवार को ट्रैप कार्रवाई की गई। त्र बताया जा रहा है कि परिवादी ने 100 फीट रोड पर दोनों निजी दलालों को 25 लाख रुपए दिए। रकम लेते ही ACB की टीम ने मौके पर कार्रवाई कर दोनों को पकड़ लिया।

कार्रवाई ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह चारण के नेतृत्व में की गई। मामले में CGST के सुपरिंटेंडेंट सावल राम को झालावाड़ से ACB द्वारा डिटेन किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। ACB की टीम अब कथित तौर पर मांगी गई 60 लाख रुपए की रिश्वत, ट्रैप में पकड़ी गई 25 लाख रुपए की रकम और CGST अधिकारियों की भूमिका को लेकर पूछताछ एवं जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

मकान में छापा: दो अवैध पिस्टल और 13 ग्राम MDMA बरामद, आरोपी गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट



उदयपुर। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मकान पर दबिश देकर दो अवैध देशी पिस्टल और 13 ग्राम MDMA बरामद की है। मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी हथियार प्रतापगढ़ से खरीदकर लाया था, जबकि MDMA मध्यप्रदेश के सीतामऊ से लाने की बात सामने आई है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छवि शर्मा के सुपरविजन में हिरणमगरी थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम का नेतृत्व थानाधिकारी रविन्द्र सिंह और डीएसटी प्रभारी पुलिस निरीक्षक भरत योगी ने किया।

गुप्त सूचना पर मकान में दबिश

पुलिस टीम को रूपनगर, सेक्टर-3 स्थित एक मकान में अवैध हथियार और मादक पदार्थ होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने मकान पर दबिश दी। किराए के कमरे में मौजूद संदिग्ध युवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो अवैध देशी पिस्टल और 13 ग्राम MDMA बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान योगेन्द्र प्रताप सिंह (22) पुत्र यशपाल सिंह, निवासी धाराखेड़ी, थाना सीतामऊ, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह दोनों देशी पिस्टल प्रतापगढ़ से खरीदकर लाया था, जबकि MDMA सीतामऊ से लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हिरणमगरी थाने में प्रकरण संख्या 368/ 2026 दर्ज किया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 22 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/ 25 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान भूपालपुरा थानाधिकारी रतन सिंह चौहान कर रहे हैं।

कार्रवाई करने वाली टीम में डीएसटी प्रभारी पुलिस निरीक्षक भरत योगी, उप निरीक्षक असरार जमा, डीएसटी के सहायक उपनिरीक्षक विक्रम सिंह, हिरणमगरी थाने के हेड कांस्टेबल हंसराज (1949), डीएसटी के हेड कांस्टेबल कमलेश (222), साइबर सेल के हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, डीएसटी कांस्टेबल सुमेर सिंह (1097) व सुमित (1445) तथा हिरणमगरी थाने के कांस्टेबल अभिषेक (3074) और विजय सिंह (1164) शामिल रहे।

डबोक में चोरी की दो वारदातों का खुलासा, 54 हजार नकद, जेवरात और बाइक बरामद

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। डबोक थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की दो अलग-अलग वारदातों का खुलासा करते हुए एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 54 हजार रुपए नकद, चांदी की चैन और ब्रेसलेट बरामद किया है। बाल अपचारी को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा रजत बिश्नोई और वृत्ताधिकारी मावली चांदमल सिंगारिया के सुपरविजन में थानाधिकारी डबोक गोपालनाथ के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की।

मंदिर की पार्किंग से बाइक चोरी

पहली वारदात 14 सितंबर की है। टोंक निवासी और वर्तमान में सुखेर, उदयपुर में रहने वाले नरेश भारती डबोक स्थित धुणीमाता मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल मंदिर के नीचे पार्किंग में खड़ी की थी। दर्शन के बाद लौटे तो बाइक गायब मिली। इस पर पुलिस ने प्रकरण संख्या 230/ 26 धारा 303(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

सूने मकान से 54 हजार नकद और चांदी के जेवर चोरी

दूसरी वारदात 16 सितंबर की रात किशनपुरा (घणोली) में हुई। भगवत सिंह राजपूत के सूने मकान के कमरे में रखे लोहे के डिब्बे से चोर करीब 54 हजार रुपए नकद, 23 ग्राम चांदी की चैन और चांदी का ब्रेसलेट ले गया। मकान की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार केवलराम भील का रियलमी मोबाइल भी चोरी हुआ था। पुलिस ने प्रकरण संख्या 232/ 26 में धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया।

मुखबिर तंत्र और तकनीकी जांच से पहुंची पुलिस

दोनों वारदातों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने एक बाल अपचारी को डिटेन कर पूछताछ की। इसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी का मशरूका बरामद किया गया। बरामद माल में 54 हजार रुपए नकद, चोरी की मोटरसाइकिल, 23 ग्राम चांदी की चैन और चांदी का ब्रेसलेट शामिल है। बाल अपचारी को नियमानुसार जेजे कोर्ट (किशोर न्याय बोर्ड) के समक्ष पेश किया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी गोपालनाथ, सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार (2180), हेड कांस्टेबल भैरूलाल (282) और कांस्टेबल जयनारायण (2265) शामिल रहे।

CET समेत 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं का बदला शेड्यूल, नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच होंगी परीक्षाएं

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने CET समेत पांच बड़ी भर्ती परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित पंचायतीराज चुनावों के मद्देनजर परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इन परीक्षाओं में 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार टीचिंग एसोसिएट (संविदा आधारित) भर्ती-2026 के 32 विषयों की परीक्षाएं 17 नवंबर से 21 दिसंबर 2026 तक अलग-अलग तारीखों में आयोजित की जाएंगी। इसके बाद CET सीनियर सेकंडरी स्तर-2026 की परीक्षा 1 से 3 दिसंबर 2026 तक होगी। वहीं CET स्नातक स्तर-2026 की परीक्षा 16, 17 और 18 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। प्रयोगशाला परिचारक सीधी भर्ती-2025 की परीक्षा 25 जनवरी 2027 को और कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती-2026 की परीक्षा 3 से 5 फरवरी 2027 तक होगी।

टीचिंग एसोसिएट की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में

टीचिंग एसोसिएट भर्ती के लिए 17 नवंबर तथा 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 और 21 दिसंबर 2026 को परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। 17 नवंबर और 14, 17, 18 व 21 दिसंबर को परीक्षा एक पारी में होगी, जबकि 7, 9, 10, 11, 15 और 16 दिसंबर को दो पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT), टैबलेट बेस्ड टेस्ट विद ओएमआर या पेपर-पेन ओएमआर पैटर्न में कराई जा सकती है।

CET सीनियर सेकंडरी 1 से 3 दिसंबर तक

CET सीनियर सेकंडरी स्तर की परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर को प्रतिदिन दो पारियों में होगी। वहीं CET स्नातक स्तर की परीक्षा 16 से 18 जनवरी 2027 तक आयोजित होगी। 16 और 17 जनवरी को दो-दो पारियां होंगी, जबकि 18 जनवरी को एक पारी में परीक्षा होगी। CET के माध्यम से विभिन्न सरकारी भर्तियों में आवेदन के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है। ऐसे में इन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं।

प्रयोगशाला परिचारक और जेई परीक्षा भी नए शेड्यूल पर

प्रयोगशाला परिचारक सीधी भर्ती-2025 की परीक्षा अब 25 जनवरी 2027 को एक पारी में होगी। इसके बाद कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती-2026 की परीक्षा 3 से 5 फरवरी 2027 तक प्रतिदिन एक पारी में आयोजित की जाएगी। RSSB अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड की ओर से इससे पहले 23 जून और 1 जुलाई 2026 को जारी विज्ञप्तियों के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया था। अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित पंचायतीराज चुनावों के कारण अब परीक्षा कैलेंडर में संशोधन किया गया है। अध्यक्ष आलोक राज ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही अपनी तैयारी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करें।

गवरी माता का अपमान करने का आरोपी गिरफ्तार



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। जिले की गोगुन्दा थाना पुलिस ने मेवाड़ की पारंपरिक लोकनाट्य परंपरा गवरी और आदिवासी समाज के खिलाफ कथित अभद्र एवं जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे हरियाणा से गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर डॉ. अमृता दुहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मुकुल शर्मा और वृत्ताधिकारी गिर्वा छगन पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी गोगुन्दा प्रवीण सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी।

गवरी खेलकर लौट रहे कलाकारों को रोका

पुलिस के अनुसार, 28 सितंबर को भाट, गोगुन्दा निवासी 23 वर्षीय चेनाराम गमेती ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि वह पारंपरिक गवरी खेल से जुड़ा हुआ है। 23 सितंबर को चाटियाखेड़ी से गवरी खेलकर गोगुन्दा बाईपास लौटते समय काले रंग की थार में सवार एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि व्यक्ति ने गवरी के पारंपरिक महिला श्रृंगार और रीति-रिवाजों का मजाक उड़ाया। जब चेनाराम ने बताया कि वह आदिवासी समाज से है और गवरी उनकी आस्था एवं परंपरा का हिस्सा है, तो आरोपी ने कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गवरी माता और आदिवासी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की।

इंस्टाग्राम आईडी से आरोपी तक पहुंची पुलिस

गोगुन्दा पुलिस टीम ने साइबर सेल और मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी की पहचान और लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद मुहाना थाना क्षेत्र, सफीदों, जिला जींद, हरियाणा निवासी पिन्कु (25) पुत्र राजकुमार को डिटेन किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी प्रवीण सिंह, सहायक उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह, सहायक उपनिरीक्षक कालूलाल, कांस्टेबल भूपेन्द्र सिंह और साइबर सेल के सहायक उपनिरीक्षक गजराज सिंह शामिल रहे।

संपादकीय : जवाबदेही से दूर

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जो काम सरकार को खुद करना चाहिए, उसके बारे में या तो अदालतें याद दिलाती हैं या फिर आम जनता को सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ता है। यह किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदगी का मामला होना चाहिए कि आए दिन 'सब ठीक है' के सरकारी दावे के बरक्स ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं, जो कानून-व्यवस्था की लाचारगी को ही दिखाती हैं। दिल्ली में चौकसी के तमाम दावों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ यौन हिंख में कमी नहीं आ रही है तो यह प्रशासनिक तंत्र की नाकामी ही है। शायद यही वजह है कि दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार की कई घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और प्रशासनिक तंत्र को कठघरे में खड़ा किया है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को हाल के दिनों में दिल्ली में सामने आए बलात्कार के कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। इनमें एक पार्क में सामूहिक बलात्कार और चलती बस के अंदर नाबालिग के खिलाफ यौन हिंसा की घटना भी शामिल हैं। अदालत ने साफतौर पर दर्ज किया है कि दिल्ली-एनसीआर में यौन हिंसा की घटनाएं कानून लागू करने वाली एजंसियों की ओर से बुनियादी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक व्यवस्थागत विफलता को रेखांकित करती हैं। कहीं भी जब जघन्य अपराधों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि वहां शासन- प्रशासन हालात को संभालने में नाकाम है और इसका खमियाजा आखिरकार साधारण जनता को उठाना पड़ता है। दिल्ली में जब वर्ष 2012 में चलती बस में निर्भया के बलात्कार और उसकी बर्बर हत्या का मामला सामने आया था, तब समूचे देश में आक्रोश फैल गया था। व्यापक आंदोलन के बाद जस्टिस जेएस वर्मा समिति ने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर विस्तृत सिफारिशें दी थीं। तब समाज में दिखी जागरूकता और सरकार की सक्रियता से यह उम्मीद बंधी थी कि कम से कम आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित कराया जा सकेगा । हकीकत यह है कि उस त्रासद घटना के बाद भी न तो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा में कमी आई, न ही सरकार या पुलिस की कार्यशैली में कोई खास बदलाव दिखा। ऐसी हर वारदात के बाद अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जैसी सरकारी औपचारिक घोषणाएं होती रहीं, लेकिन आज भी हालत यह है कि आए दिन दिल्ली-एनसीआर में सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इस संबंध में शीर्ष अदालत ने ठीक कहा है कि सामूहिक बलात्कार के मामलों में जवाबदेही तय करना जरूरी है। आमतौर पर होता यही है कि किसी महिला के खिलाफ यौन हिंसा होती है, तो मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार उस पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन देती है, वरना वह कोई रोजमर्रा की आपराधिक घटना की तरह गुजर जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है, वह अपनी प्रकृति में निर्भया के साथ हुई घटना की तरह ही है। कुछ घटनाओं में पीड़िता की जान किसी तरह बच गई, लेकिन कई मामलों में लड़की की हत्या कर दी गई। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि यहां की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की वजह से अपराधियों का रास्ता आसान नहीं होगा। मगर हकीकत यह है कि हत्या और बलात्कार की ज्यादातर घटनाओं में आपराधिक मानसिकता वालों के भीतर पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखता। ऐसे माहौल में महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें ?

विरोध की चिंगारी

पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में विद्यार्थियों के विरोध-प्रदर्शन की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वे निश्चित तौर पर भरोसे के संकट, लापरवाही और सुरक्षा में कोताही की ओर इशारा करती हैं। विरोध के पीछे कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया ? विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस की ओर से मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर विद्यार्थियों को विश्वास में लेने की गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि परिसर में की गई तोड़-फोड़ में बाहरी लोगों का हाथ है। हालांकि, सच्चाई गहन जांच-पड़ताल के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस घटना से यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि हर स्तर पर व्यवस्था का हाल ऐसा क्यों है कि इसमें सुधार के लिए जैन जी को विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ता है ! अगर किसी अप्रिय घटना की आशंका से उपजी नाराजगी को व्यापक विरोध में तब्दील होने दिया जाए तो क्या इसके लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए ? गौरतलब है कि एलपीयू परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा एक छात्रा से बलात्कार किए जाने की सूचना फैलने के बाद विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था । बीते रविवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया और परिसर में तोड़-फोड़ के साथ विद्यार्थियों की पुलिस से झड़पें भी हुईं। इसके बाद विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग - 44 पर करीब पंद्रह घंटे तक यातायात अवरुद्ध रखा । विश्वविद्यालय प्रशासन शुरू से यह कहता रहा कि परिसर में बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई है और यह सिर्फ अफवाह है। सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि अगर किसी ने विश्वविद्यालय परिसर में अफवाह फैलाई थी, तो उसे हिंसक विरोध प्रदर्शन में तब्दील कैसे होने दिया गया ? इस तरह के संवेदनशील मसले पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? जाहिर है, अगर प्रभावी संवाद के जरिए विद्यार्थियों को भरोसे में लिया गया होता, तो विरोध की चिंगारी को सुलगने से पहले ही शांत किया जा सकता था।

अफेयर के शक में लिव-इन में रह रही गर्भवती चाची की गला दबाकर हत्या, लॉन में दफनाया शव



24 न्यूज अपडेट

जयपुर। गर्भवती महिला की हत्या कर शव को मकान के लॉन में दफनाने के मामले में बिंदायका थाना पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मृतका का रिश्ते में भतीजा लगता है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला को जनवरी में उसके घर से भगाकर जयपुर लाया था और दोनों लिव-इन में रह रहे थे। महिला करीब छह महीने की गर्भवती थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को महिला के किसी दूसरे व्यक्ति से फोन पर बात करने का शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि 23 सितंबर की अलसुबह आरोपी ने किरण (32) की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने मकान के आगे बने लॉन में गड्ढा खोदा और शव को उसमें दफना दिया। 27 सितंबर को मकान के मालिक को लॉन से बदबू आने और मिट्टी खुदी दिखाई देने पर शक हुआ। खुदाई करने पर महिला का हाथ नजर आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकाला। मृतका की पहचान किरण के रूप में हुई। जांच में उसके करीब छह महीने की गर्भवती होने की बात सामने आई।

हत्या के बाद मंदिर गया, दो दिन फैक्ट्री में करता रहा काम

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी प्रवेश रावत (22) पुत्र रामू, निवासी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद आरोपी मकान लॉक कर सामोद हनुमान मंदिर दर्शन करने चला गया। इसके बाद 25 और 26 सितंबर को वह फैक्ट्री में सामान्य तरीके से काम करता रहा, ताकि किसी को उस पर शक न हो। 26 सितंबर की रात उसने अपने परिजनों को फोन कर किरण की मौत की जानकारी दी। वहीं, 27 सितंबर की सुबह मकान लॉक कर मोबाइल बंद किया और जयपुर से बाहर निकल गया।

फिल्मी तरीके से शव छिपाने की बनाई योजना

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि हत्या के बाद प्रवेश काफी देर तक कमरे में शव के पास बैठा रहा। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने मकान के आगे लॉन में गड्ढा खोदने की योजना बनाई। इसके बाद नमक खरीदकर लाया और रात में गड्ढा खोदकर शव को उसमें दफना दिया। शव के ऊपर नमक डालकर मिट्टी से गड्ढा बंद कर दिया। कुछ दिन बाद शव से बदबू आने लगी थी। करीब चार दिन बाद आरोपी के पास पैसे भी खत्म हो गए थे। इसके बाद उसने राजस्थान से बाहर भागने का फैसला किया।

फैक्ट्री में ठेकेदार से लिए 500 रुपए

शव मिलने के बाद पुलिस ने प्रवेश की तलाश में दबिश शुरू की। उसने मोबाइल बंद कर दिया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को उसके मूवमेंट की जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर की सुबह जयपुर से निकलने से पहले आरोपी ने फैक्ट्री में जाकर ठेकेदार से 500 रुपए उधार लिए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीमें उसका पीछा करती रहीं। मोबाइल ऑन करने पर उसकी लोकेशन यूपी बॉर्डर के पास मिली, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

पूछताछ में सुसाइड की कहानी सुनाता रहा

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद प्रवेश ने खुद को बचाने के लिए अलग कहानी बताई। उसने कहा कि किरण ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसका कहना था कि घर पहुंचने पर किरण फंदे से लटकी मिली और डर के कारण उसने शव को नीचे उतार दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे डर था कि सुसाइड की जानकारी देने पर पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसलिए उसने शव को लॉन में दफना दिया। हालांकि, पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी और हत्या के पीछे उसके किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक सामने आया है।

दो महीने पहले किराए पर लिया था मकान

मामले में मकान मालिक झोटवाड़ा निवासी कृष्ण कुमार मीणा (52) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि बिंदायका की प्रेस्टीज कॉलोनी में उनका 200 वर्गगज का प्लॉट है। इसमें करीब 100 वर्गगज में मकान बना हुआ है, जबकि बाकी हिस्सा आगे लॉन के रूप में खाली है। करीब दो महीने पहले बाराबंकी निवासी मंगल कुमार के कहने पर उन्होंने उसके साले प्रवेश रावत को मकान किराए पर दिया था। प्रवेश ने किरण को अपनी पत्नी बताया था। 27 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे कृष्ण कुमार मकान की देखरेख के लिए पहुंचे। प्रवेश का मोबाइल बंद मिला। अंदर जाकर लॉन में देखा तो मिट्टी खुदी हुई थी और तेज बदबू आ रही थी। उन्होंने प्रवेश के जीजा को बुलाया। मिट्टी हटाने पर महिला का हाथ दिखाई दिया। सूचना पर बिंदायका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब चार घंटे की कार्रवाई के बाद एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कांवटिया अस्पताल भेजा गया।

कांग्रेस ने पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह और ज्ञानेस कुमार के पुतले जला कर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 29 सितंबर। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में बदलाव और SIR-2026 के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को उदयपुर में प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतह सिंह राठौड़ और देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ता अंबेडकर सर्किल से विरोध मार्च निकालते हुए शास्त्री सर्किल, दिल्ली गेट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले जलाकर विरोध जताया गया।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने, मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट, SIR की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा निर्वाचन आयोग की आईटी प्रणाली और मतदाता डेटा का स्वतंत्र तकनीकी एवं साइबर ऑडिट कराने की मांग की। प्रदर्शन में मावली विधायक पुष्कर डांगी, प्रदेश कांग्रेस महासचिव लाल सिंह झाला, पंकज कुमार शर्मा, पूर्व विधायक मांगीलाल गरासिया, प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, त्रिलोक पूर्बिया, सज्जन कटारा, पूर्व देहात जिलाध्यक्ष कचरू लाल चौधरी, केके शर्मा, अरुण टांक, दिनेश दवे, शंकर चंदेल, अजय सिंह, ओनार सिंह सिसोदिया, राजेंद्र जैन, भगवती डांगी, कौशल नागदा, मोहसिन खान, पंकज पालीवाल, राजेंद्र शर्मा, महेश त्रिपाठी, लोकेश चौधरी, खूबी लाल मेनारिया, सुधीर जोशी, दीपक व्यास, राजेश जैन, सोमेश्वर मीणा, तीरथ सिंह खेरोलिया, डॉ. पूनम कुंवर राठौड़, डॉ. हितांशी शर्मा, स्नेहलता टांक, हर्षवर्धन सिंह केलावत, अजीत चौधरी, प्रतीक नागर, रोहित मेघवाल, लक्ष्मीनारायण मेघवाल, साजिद खान, हिदायतुल्लाह, संजय शर्मा, राहुल माली, विनोद पानेरी, हरीश शर्मा, नजमा मेवाफरोश, शांता प्रिंस, मोहम्मद अयूब, जयप्रकाश निमावत, जमनालाल शर्मा, नवल सिंह चुंडावत, शहजाद खान, यशवंत जोशी, अमित सुवालका, राकेश खोखावत, सुरेश सोलंकी, सिद्धार्थ सोनी, सुरेश औदीच्य, गौरव प्रताप सिंह, मितेश वैष्णव, पंकज सुखवाल, देवीलाल चौधरी, यासमीन खान, रोहित पालीवाल, यशवंत राजोरा, गोपाल सरपटा, मदन बाबरवाल, बंसीलाल गवारिया, जगदीश जलानिया, दयालाल चौधरी और डॉ. संजीव राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

चेक बाउंस मामले में 2 साल से फरार स्थाई वारंटी गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। जिले की झाड़ोल थाना पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में पिछले दो साल से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना तंत्र और तकनीकी सहयोग के जरिए आरोपी को तलाश कर न्यायालय में पेश किया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा रजत बिश्नोई और वृत्ताधिकारी झाड़ोल विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। मामला विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट कोर्ट नंबर-05, उदयपुर जिला) के प्रकरण संख्या 1192/ 2017, भवानी केडिट बनाम रोशनलाल से जुड़ा है। मामले में आरोपी के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी था। पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए स्थाई वारंटी रोशनलाल (43) पुत्र अम्बालाल निवासी गोराणा, थाना झाड़ोल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई, कांस्टेबल ओमप्रकाश (1173), कांस्टेबल बालकृष्ण (3196), कांस्टेबल रामेश्वर मीणा (3163) और कांस्टेबल लक्ष्मीलाल (3043) शामिल रहे। वारंटी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल ओमप्रकाश की विशेष भूमिका रही।

खेल गांव के 6 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। खेल गांव में प्रशिक्षण ले रहे छह खिलाड़ियों का 70वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इनमें अंडर-14 वर्ग में भूमि झाला, नव्या जैन और ईश्वी कोठारी, अंडर-17 में फियोना सिंह राणा और धनंजय सिंह शक्तावत तथा अंडर-19 वर्ग में आशिका यादव का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगी। अंडर-14 प्रतियोगिता अजमेर, अंडर-17 और अंडर-19 छात्र वर्ग की प्रतियोगिताएं सवाई माधोपुर, जबकि अंडर-17 और अंडर-19 छात्रा वर्ग की प्रतियोगिताएं देवगढ़ में आयोजित होंगी। खिलाड़ियों के चयन पर जिला खेल अधिकारी डॉ. महेश पालीवाल, खेल गांव के प्रशिक्षकों और खेल परिवार ने खुशी जताते हुए चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

गुरु दर्शन यात्रा में 475 श्रद्धालुओं ने किए आचार्य रामेश के दर्शन



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 28 सितंबर। समता युवा संघ, उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित गुरु दर्शन यात्रा 2026 संपन्न हुई। उदयपुर से 13 बसों में 475 श्रद्धालु बीकानेर पहुंचे और आचार्य श्री रामेश सहित संत-सतीवृंद के दर्शन किए। यात्रा के दौरान प्रार्थना, प्रवचन, मांगलिक, प्रतिक्रमण और गुरु भक्ति संध्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान अजय दक ने 76 उपवास के प्रत्याख्यान लेकर 65 उपवास पूर्ण किए, जबकि कुंदन सिंह डुंगरपुरीया ने 25 उपवास के प्रत्याख्यान लेकर 24 उपवास की तपस्या जारी रखी। दो श्रावकों ने केश लोच करवाकर त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बीकानेर के आदिनाथ भवन में आयोजित जैन साहित्य संगम के तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गांधी, विधायक जेठानंद व्यास, श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, साधुमार्गी जैन सेवा समिति बीकानेर के अध्यक्ष कन्हैयालाल बैद, जैन साहित्य संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीप जैन हर्षदर्शी और राष्ट्रीय संयोजक अशोक नागौरी सहित गणमान्य मौजूद रहे। गुलाब चंद कटारिया ने आचार्य श्री रामेश के दर्शन, सेवा एवं मांगलिक का लाभ लिया। यात्रा की व्यवस्थाओं में 20-25 युवाओं ने 'नो नेम-नो ब्लेम' थीम के तहत बिना व्यक्तिगत श्रेय की अपेक्षा के जिम्मेदारी संभाली। बीकानेर श्रीसंघ के आतिथ्य और व्यवस्थाओं की भी सराहना की गई। समता युवा संघ ने सभी श्रावक-श्राविकाओं, सहयोगियों और बीकानेर श्रीसंघ का आभार जताया।

मोबाइल देखते-देखते तीसरी मंजिल से गिरा नगर निगम का अकाउंटेंट, इलाज के दौरान मौत

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। भूपालपुरा थाना क्षेत्र में नगर निगम के क्वार्टर की तीसरी मंजिल से गिरने से अकाउंटेंट की मौत हो गई। हादसा सोमवार देर रात करीब 3 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि दिलीप सिंह चौहान छत पर टहलते हुए मोबाइल देख रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे करीब तीसरी मंजिल से नीचे जा गिरे। हादसे में दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन और पड़ोसी उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान करीब आधे घंटे बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, 39 वर्षीय दिलीप सिंह चौहान पुत्र गजेंद्र सिंह मूल रूप से वलाई गांव, बेणेश्वर, जिला डूंगरपुर के रहने वाले थे। वे वर्तमान में उदयपुर नगर निगम में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे और नगर निगम परिसर स्थित क्वार्टर में पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे।



फोन पर बात करते हुए छत पर गए थे दिलीप

मृतक के पिता गजेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार रात करीब 3 बजे उनकी बहू और दोनों पोतियां नीचे सो रही थीं। इसी दौरान दिलीप फोन पर बात करते हुए बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की छत पर चले गए। वहां वे मोबाइल पर वीडियो देखने लगे। छत पर करीब ढाई फीट ऊंची दीवार थी। मोबाइल देखते समय अचानक संतुलन बिगड़ गया और दीवार के ऊपर से नीचे जा गिरे। तेज आवाज सुनकर पत्नी और आसपास के पड़ोसी बाहर पहुंचे तो दिलीप खून से लथपथ हालत में नीचे पड़े मिले। परिजन और पड़ोसी उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे। उनके सिर और कमर में गंभीर चोटें आई थीं और काफी खून बह रहा था। अस्पताल पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पीछे रह गईं दो छोटी बेटियां

गजेंद्र सिंह ने बताया कि दिलीप की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी 5 साल की है और नर्सरी में पढ़ती है, जबकि छोटी बेटी महज 1 साल की है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। भूपालपुरा थाने के जांच अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि दिलीप सिंह रात में नगर निगम परिसर स्थित क्वार्टर की छत पर गए थे। वे छत पर टहलने के दौरान मोबाइल में व्यस्त थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वे नीचे गिर गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके और अस्पताल पहुंची तथा परिजनों व पड़ोसियों से घटना की जानकारी ली। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भूपालपुरा में सड़क डिवाइडर पर बेहोशी की हालत में मिला व्यक्ति, अस्पताल में मृत घोषित

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। भूपालपुरा थाना क्षेत्र में बेकनी पुलिया के पास शराब के ठेके के सामने सड़क के डिवाइडर पर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। उसे लोगों की मदद से निजी वाहन से एमबीजीएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार राजेन्द्र कुमार कांस्टेबल थाना भूपालपुरा ने रिपोर्ट दी कि एक व्यक्ति बेकनी पुलिया पर शराब के ठेके के सामने बीच सड़क में डिवाइडर पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर उक्त व्यक्ति को पब्लिक की सहायता से निजी वाहन में एमबीजीएच अस्पताल, उदयपुर ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। भूपालपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मृतक की पहचान और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक दिनेश कुमार कर रहे हैं।

बड़गांव में महिला ने फंदा लगाकर दी जान, पति से विवाद के बाद की आत्महत्या

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। बड़गांव थाना क्षेत्र के डांगियों की हुन्दर में एक महिला ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजन उसे महाराणा भूपाल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शंकर पुत्र होमा, जाति खराड़ी, उम्र 36 वर्ष, निवासी सुल्तान जी का खेड़ा, थाना डबोक, जिला उदयपुर ने रिपोर्ट दी कि वह और उसकी पत्नी रामली बाई मजदूरी करते थे। 25 सितंबर 2026 की रात करीब 11 बजे दोनों काम से लौटकर कमरे पर आए थे। रिपोर्ट के अनुसार शंकर ने थोड़ी शराब पी थी। इसके बाद दोनों के बीच खाना बनाने की बात को लेकर कहासुनी और विवाद हो गया। बाद में शंकर खाना खाकर सो गया। रात करीब 11 बजे उठकर देखने पर उसकी पत्नी रामली बाई ने चुन्नी का फंदा लगा लिया था। परिजन उसे उपचार के लिए महाराणा भूपाल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में बड़गांव थाने में मर्ग नंबर 20/ 2026, धारा 194 बीएनएसएस के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने आत्महत्या के कारणों और घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक सज्जन कुमार कर रहे हैं।

वल्लभनगर में मकान से 35 हजार नकद और 900 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। वल्लभनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर एक मकान से नकदी और चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कैलाश पुत्र उदयलाल, वल्लभनगर, ने रिपोर्ट दी कि उसके मकान से अज्ञात व्यक्ति 35 हजार रुपये नकद और चांदी के दो आभूषण, जिनका कुल वजन करीब 900 ग्राम है, चोरी कर ले गया। घटना 27 सितंबर की बताई गई है। मामले में वल्लभनगर थाने में एफआईआर नंबर 114/ 2026, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक रामानंद कर रहे हैं।

2 किलो सिक्के बताकर थमा दिया नकली गोल्ड, 10 लाख रुपये की ठगी का मामला

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में नकली सोने के सिक्के देकर 10 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार राजेश कुमार पुत्र सूरजकरण शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 40 वर्ष, निवासी धनोप, तहसील फूलियाकला, थाना फूलियाकला, जिला भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दी कि 4 सितंबर 2026 को वह अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गया था। इसी दौरान वहां दो व्यक्ति आए और उन्होंने अपने पास 2 किलो सिक्के होने की बात कही। आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि उनका ठेकेदार उनके पीछे पड़ा हुआ है और वे ये सिक्के उसे दे देंगे, बदले में 10 लाख रुपये देने होंगे। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने उसे सिक्के देकर रुपये ले लिए, लेकिन बाद में जांच करने पर सिक्के नकली गोल्ड निकले। मामले में कल्याणपुर थाने में एफआईआर नंबर 100/ 2026, धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। रिपोर्ट 28 सितंबर 2026 को दर्ज हुई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार कर रहे हैं।

निवेश के नाम पर 2.54 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी, साइबर थाने में मामला दर्ज

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर एक निजी कर्मचारी से 2 लाख 54 हजार 695 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार चन्द्र प्रकाश मेनारिया पुत्र नन्दलाल मेनारिया, उम्र 45 वर्ष, निवासी पानेरियो की मादड़ी, थाना हिरणमगरी, ने रिपोर्ट दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे निवेश के नाम पर झांसे में लेकर 2,54,695 रुपये की ठगी कर ली। मामले में साइबर थाने में एफआईआर नंबर 81/ 2026, धारा 316(2), 318(4) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। रिपोर्ट 28 सितंबर 2026 को सुबह 7:18 बजे दर्ज की गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

घूमने निकले पैसिफिक हॉस्पिटल के प्रोफेसर की तबीयत बिगड़ने से मौत

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। हिरणमगरी थाना क्षेत्र के उमरड़ा में घूमने निकले पैसिफिक हॉस्पिटल के एक प्रोफेसर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार श्रीमती सीमी जोहल पत्नी डॉ. नितिन सिंह सलारिया, उम्र 60 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1441, जीबीपी डेरा बस्ती, वुड कॉलोनी, थाना एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब ने रिपोर्ट दी कि उनके पति डॉ. नितिन सिंह सलारिया पुत्र सुरेन्द्र पाल सिंह, उम्र 50 वर्ष, इसी पते के निवासी थे और वर्तमान में पैसिफिक हॉस्पिटल, उमरड़ा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। रिपोर्ट के अनुसार 27 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे डॉ. नितिन सिंह घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में हिरणमगरी थाने में मर्ग नंबर 40/ 2026, धारा 194 बीएनएस के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मौत के कारणों को लेकर आवश्यक जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक पर्वत सिंह कर रहे हैं।

हिरणमगरी में 12.50 ग्राम MDMA और दो देशी पिस्टल बरामद, तीन आरोपी पकड़े

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। हिरणमगरी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12.50 ग्राम MDMA (मेथिलीन डाइऑक्सी मेथामफेटामाइन) तथा दो देशी पिस्टल बरामद की हैं। कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई 28 सितंबर की रात करीब 10 बजे रूपनगर सेक्टर-3, हिरणमगरी में की गई। कार्रवाई में योगेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र यशपाल सिंह राठौड़, उम्र 22 वर्ष, निवासी धाराखेड़ी, थाना सीतामऊ, जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश), युवराज बारबसिया निवासी इन्द्रा कॉलोनी, प्रतापगढ़ तथा निरजन हरिजन निवासी महुड़ी माताजी के पास, निचवास, सीतामऊ को पकड़ा गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान MDMA बरामद किया। मादक पदार्थ का कुल वजन 13 ग्राम पाया गया। इसके बाद MDMA को थैली से निकालकर खाली प्लास्टिक थैली का वजन किया गया, जो 0.50 ग्राम निकला। इस तरह बरामद MDMA का नेट वजन 12.50 ग्राम पाया गया। इसी कार्रवाई में दो देशी पिस्टल भी मिलीं। पुलिस के अनुसार आरोपी योगेन्द्र प्रताप सिंह के पास इन पिस्टलों को रखने के संबंध में कोई वैध लाइसेंस अथवा दस्तावेज नहीं मिला। मामले में हिरणमगरी थाने में एफआईआर नंबर 368/ 2026, धारा 8/ 22 एनडीपीएस एक्ट 1985 एवं धारा 3/ 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई थानाधिकारी असरार जमां खान के निर्देशन में की गई। प्रकरण की जांच रतन सिंह, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी भूपालपुरा द्वारा की जा रही है।

नौकरी के बहाने होटल चरण कमल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने और दुष्कर्म का आरोप, मामला दर्ज

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में होटल में नौकरी दिलाने के बहाने युवती को बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसे नौकरी के बहाने चरण कमल होटल में बुलाया गया। वहां उसे नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में गोवर्धन विलास थाने में एफआईआर नंबर 274/ 2026, धारा 64(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना 24 सितंबर 2026 रात करीब 8 बजे की बताई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी उप निरीक्षक अर्जुन लाल हैं।

हाथीपोल थाना क्षेत्र में घर-दुकान से सोने के जेवर और नकदी गायब, नाबालिग पर संदेह

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। हाथीपोल थाना क्षेत्र के पंचवटी इलाके में एक महिला के घर और दुकान से सोने के जेवरात व नकदी गायब होने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार श्रीमती गुणवाला पटवारी पत्नी दिलीप जैन, निवासी मकान नंबर 95-96, श्रृंगारिका मेन रोड, पंचवटी ने रिपोर्ट दी कि उनकी दुकान में रखे दो गल्ले वाले ड्रॉअर से सोने के कान के टॉप्स की दो जोड़ी, सोने की टोकरी की एक जोड़ी और नकदी गायब मिली। इसके अलावा घर में उनके कमरे की अलमारी से 50 हजार रुपये नकद और सोने की दो चेन भी गायब मिलीं। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि सामान और नकदी गायब होने के पीछे एक नाबालिग अभियुक्त का संदेह है। पुलिस ने हाथीपोल थाने में एफआईआर नंबर 161/ 2026, धारा 305(क) बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज किया है। घटना 25 सितंबर को शाम करीब 6 बजे की बताई गई है, जबकि रिपोर्ट 28 सितंबर को दी गई। जांच हेड कांस्टेबल हेमेन्द्र सिंह कर रहे हैं।

समाचार भेजने के लिए हमारी मेल आई-डी पर संपर्क करें -
desk24newsupdate@gmail.com
wathsapp : 8852073787

प्रतापनगर थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाश एक मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी सूर्यप्रकाश जांगिड़ पिता तनसुख लाल, उम्र 54 वर्ष, निवासी मंदसौर (मध्यप्रदेश), हाल निवासी चित्रकूट नगर, सुखेर ने रिपोर्ट दी कि उसकी मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर MP14NA2725 को अज्ञात अभियुक्त चोरी कर ले गया। मामले में प्रतापनगर थाने में एफआईआर नंबर 543/ 2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हेडकांस्टेबल तख्त सिंह नंबर 1892 द्वारा की जा रही है।

आईआईएम बलीचा के पास युवती से मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाश

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित आईआईएम बलीचा के पास एक युवती से अज्ञात बदमाश मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आयुषी पुत्री प्रवीण कुमार सिधल, उम्र 24 वर्ष, निवासी 1681, पाना मामुरपुर, नरेला, दिल्ली, हाल निवासी आईआईएम बलीचा ने रिपोर्ट दी कि 18 सितंबर 2026 की रात करीब 11:30 बजे अज्ञात बदमाश उसका मोबाइल छीनकर ले गए। मामले में गोवर्धन विलास थाने में एफआईआर नंबर 275/ 2026, धारा 304(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीलाल कर रहे हैं।

ऑनलाइन ठगी: खाते से 99 हजार रुपए पार, सवीना थाने में मामला दर्ज

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सवीना थाना क्षेत्र में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोल की पाटी निवासी श्री शांतिलाल मेघवाल (45) ने पुलिस को शिकायत दी कि अज्ञात आरोपी ने उनके बैंक खाते से ऑनलाइन तरीके से 99 हजार रुपए निकाल लिए। पुलिस के अनुसार घटना के संबंध में सवीना थाने में धारा 318(4) और 319(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता शांतिलाल मेघवाल, पिता गेबीलाल, निवासी 52, हिरामन सोसायटी, धोल की पाटी, सवीना हैं। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खाते से रकम किस माध्यम से निकाली गई और इस साइबर धोखाधड़ी के पीछे कौन लोग शामिल हैं। मामले की जांच सउनि देवीलाल कर रहे हैं। पुलिस अब बैंक ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन लेन-देन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

सोशल मीडिया पर आपराधिक गैंग को फॉलो करने वाला गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। जिले की झाड़ोल थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपराधिक गैंग्स को फॉलो करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर डॉ. अमृता दुहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय आपराधिक प्रवृत्ति की गैंग और उनके फॉलोअर्स पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा रजत बिश्नोई और वृत्ताधिकारी झाड़ोल विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस के सामने आया कि झाड़ोल थाना क्षेत्र के खरड़िया निवासी प्रकाश (29) पुत्र चतरा सोशल मीडिया पर आपराधिक गैंग्स को फॉलो कर रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकाश को डिटेन किया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है।

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में 1 अक्टूबर से बदलेगा OPD टाइम, सुबह 9 बजे से शुरू होगा इलाज



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राजस्थान में सर्दियों के मौसम को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 अक्टूबर से ओपीडी के समय में बदलाव किया जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) समेत प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC), उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और सेटेलाइट अस्पतालों में अब ओपीडी सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 9 बजे से शुरू होगी। नई व्यवस्था अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का सामान्य समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। स्वास्थ्य विभाग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मरीजों को ओपीडी सेवाएं मिलेंगी।

SMS अस्पताल में रजिस्ट्रेशन सुबह 8:30 बजे से

उदयपुर में भी 1 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदल जाएगा। यहां वर्तमान में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी संचालित हो रही है। नई व्यवस्था के तहत ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। हालांकि मरीजों की सुविधा के लिए SMS अस्पताल में ओपीडी का रजिस्ट्रेशन सुबह 8:30 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। इससे मरीज ओपीडी शुरू होने से पहले अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

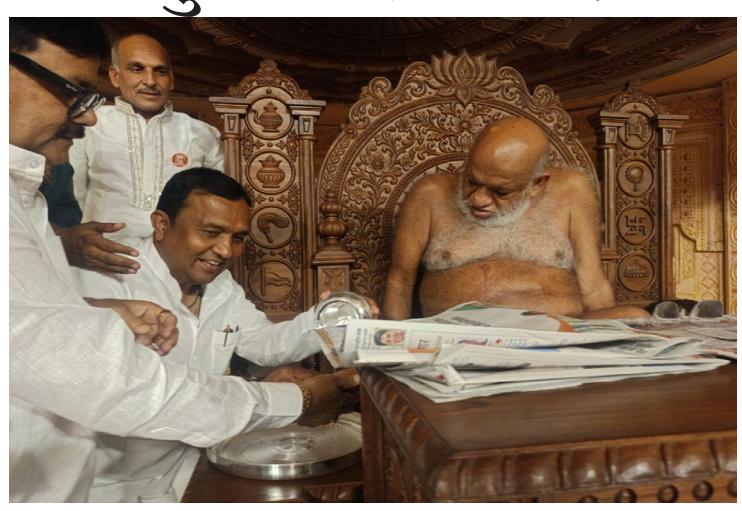
राजकीय अवकाश पर पुराना समय ही रहेगा

राजकीय अवकाश के दिनों में ओपीडी का समय पूर्व की तरह ही रहेगा। ऐसे दिनों में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक संचालित होगी।

PHC से जिला अस्पताल तक नई व्यवस्था

स्वास्थ्य विभाग के निर्देश प्रदेशभर में लागू होंगे। PHC, CHC, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल और सेटेलाइट अस्पतालों में भी 1 अक्टूबर से ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। यानी सर्दियों के मौसम में मरीजों को सरकारी अस्पतालों की सामान्य ओपीडी सेवाओं के लिए सुबह 9 बजे के बाद ही पहुंचना होगा। यह समय व्यवस्था 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।

महापौर पारस सिंघवी ने इंदौर पहुंचकर गुरुदेव सुधा सागर जी का लिया आशीर्वाद



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 29 सितम्बर। गुरुदेव सुधा सागर जी के दीक्षा दिवस के अवसर पर दर्शन एवं आशीर्वाद लेने के लिए नगर निगम उदयपुर के नवनियुक्त महापौर पारस सिंघवी एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुदेव के चरण कमलों को धोकर विधिवत पूजन किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

मीडिया प्रभारी कृष्णकांत कुमावत ने बताया कि महापौर सिंघवी ने गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर समाज एवं शहर के कल्याण और विकास के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व पार्षद राकेश जैन सहित महावीर, श्रीपाल जैन, संजय गंगावत एवं कमलेश जैतावत भी मौजूद रहे। सभी ने गुरुदेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

गुरुदेव के दीक्षा दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। महापौर पारस सिंघवी ने इस अवसर को आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी बताते हुए गुरुदेव के सान्निध्य को सौभाग्यपूर्ण बताया।

हद कर दी आपने : राजस्थान में अब हर 8 घंटे में मरीज और डॉक्टर की फोटो अपलोड करनी होगी



24 न्यूज अपडेट

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मां योजना) के तहत निजी अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों की निगरानी अब फोटो के जरिए भी होगी। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने निजी अस्पतालों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आईसीयू में भर्ती मरीज और उसका इलाज देख रहे डॉक्टर की हर 8 घंटे में फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। फोटो में मरीज का बेड और उसके पीछे लगा मॉनिटर भी स्पष्ट दिखाई देना जरूरी होगा। मॉनिटर पर मरीज की पल्स रेट, ऑक्सीजन स्तर सहित अन्य निगरानी संबंधी जानकारी दिखाई देनी चाहिए। फोटो को जियो टैगिंग के साथ मां योजना के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नया नियम 30 सितंबर से लागू होगा।

डे-केयर मरीज भी दायरे में नियम केवल आईसीयू तक सीमित नहीं है। डे-केयर में उपचार कराने वाले मरीजों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी। इनमें रेडियोथेरेपी कराने वाले कैंसर मरीज, डायलिसिस कराने वाले किडनी मरीज और डे-केयर में उपचार लेने वाले न्यूरो रोगियों सहित अन्य मरीज शामिल हैं। इन मरीजों की भी डॉक्टर के साथ जियो टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। मां योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रत्येक टीआईडी (ट्रांजेक्शन आईडी) के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी।

निजी अस्पताल संघ ने जताया विरोध

नए नियम को लेकर निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के संगठन ने विरोध जताया है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के चेयरमैन डॉ. विजय कपूर ने कहा कि इस मामले में जल्द ही सरकार को ज्ञापन देकर वार्ता की जाएगी।

विद्यापीठ की कार्यकारी परिषद का धमाकेदार फैसला - प्रो. सारंगदेवोत के कार्यकाल की सभी नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं की होगी जांच, होगी वसूली



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 29 सितंबर। राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (बॉम) की बैठक मंगलवार को प्रतापनगर स्थित कुलपति सचिवालय सभागार में कुलपति प्रो. मंजु मांडोत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व कुलपति के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों, पदोन्नतियों और लेखा विभाग से जुड़ी अनियमितताओं की जांच का निर्णय लिया गया। बैठक की शुरुआत में कुलाधिपति एवं कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर और कुलपति प्रो. मंजु मांडोत ने नवनियुक्त सदस्य वल्लभनगर विधायक उदय लाल डांगी, पूर्व कुल प्रमुख प्रफुल्ल नागर और पूर्व कुलपति प्रो. लोकेश भट्ट का माला व उपरणा पहनाकर सम्मान किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2012 से 2026 तक की अवधि की नियुक्तियों, पदोन्नतियों और लेखा विभाग से संबंधित मामलों की जांच के लिए ऑडिट एवं रिव्यू कमेटी गठित की जाएगी। बैठक में यह भी कहा गया कि पूर्व कुलपति के कार्यकाल में कुछ कर्मचारियों को नियमों के विपरीत एडवांस राशि दिए जाने की जानकारी सामने आई है। ऐसे मामलों में नियमानुसार राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कुलपति प्रो. मांडोत ने बताया कि एमओए एवं रूल्स-2023 के अनुसार नवीन कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और वित्त समिति का गठन किया गया है, जिसे बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। अजमेर स्थित राजस्थान विद्यापीठ कुल की जमीन से जुड़े मामले में भी कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। यह कमेटी वर्तमान स्थिति की जांच कर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पूर्व कुल प्रमुख प्रफुल्ल नागर ने कहा कि विद्यापीठ कुल ने किसी संपत्ति का बेचान या लीज नहीं किया है, बल्कि सरकार के माध्यम से विधिसम्मत रूप से ट्रस्ट का प्रबंधन हस्तांतरित हुआ है। मामले को पुनः संस्था के अधीन लेने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में यूजीसी सदस्य प्रो. आनंद पालीवाल, रजिस्ट्रार डॉ. तरुण श्रीमाली, पीजीडीन प्रो. मलय पानेरी, प्रो. सरोज गर्ग, डॉ. लीली जैन, डॉ. मनीष श्रीमाली और डॉ. चन्द्रेश छतलानी उपस्थित रहे।

यदुपति सिंघानिया की 73वीं जयंती पर जनसेवा के कार्य, 50 मेधावी छात्राओं को साइकिलें, नेत्र जांच शिविर सहित अस्पताल, गौशाला और अन्नपूर्णा रसोई में सेवा



24 न्यूज अपडेट

निंबाहेड़ा (कविता पारख)। जे.के. सीमेंट समूह के प्रबंध निदेशक स्वर्गीय यदुपति सिंघानिया की 73वीं जन्म जयंती पर मंगलवार को जे.के. सीमेंट वर्क्स निंबाहेड़ा की ओर से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पशु सेवा और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यूनिट हेड मनीष तोषनीवाल के निर्देशन में हुए कार्यक्रमों में जनसेवा को प्राथमिकता दी गई। भंडारी नेत्रालय, नीमच के तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर में बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की जांच की गई। एचआर हेड प्रभाकर मिश्रा ने बताया कि नजर कमजोर होने, नाखूना, मोतियाबिंद सहित विभिन्न नेत्र रोगों की जांच विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की। जरूरतमंद मरीजों के ऑपरेशन भी कंपनी की ओर से निःशुल्क कराए जाएंगे। कमर्शियल हेड मनोज सोनी ने बताया कि क्षेत्र के 10 राजकीय विद्यालयों की मेधावी छात्राओं को 50 साइकिलें वितरित की गईं। वहीं टेक्निकल हेड राजेश सोनी एवं मुरली लड्ढा ने बताया कि जिला अस्पताल में सुरभि क्लब के माध्यम से नवजात शिशुओं और जरूरतमंद परिवारों को बेबी किट तथा मरीजों को फल-दलिया वितरित किया गया। सांवरिया गौशाला में चारा व पशु आहार उपलब्ध कराया गया तथा नगर परिषद की अन्नपूर्णा रसोई में जरूरतमंदों के भोजन में सहयोग किया गया।

नेत्र जांच शिविर में चित्तौड़गढ़ जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष पूरण आंजना, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष गोपाल जाट, जिला महासचिव मनोज पारख, नुसरत खान एवं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के नगर अध्यक्ष रोमी पोरवाल पहुंचे और मरीजों से मुलाकात की। जे.के. सीमेंट वर्क्स के यूनिट हेड मनीष तोषनीवाल एवं एचआर हेड प्रभाकर मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान पूरण आंजना सहित अतिथियों और कंपनी प्रतिनिधियों ने स्व. यदुपति सिंघानिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके सामाजिक सरोकारों एवं सेवा भावना को याद किया।

पोषण माह में हिंदुस्तान जिंक की पहल, 1,540 से अधिक ग्रामीणों तक पहुंचा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 29 सितंबर 2026। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान और उत्तराखंड के अपने परिचालन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा परियोजना के तहत एक माह तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। 'मेरा गांव, स्वस्थ गांव' पहल के अंतर्गत आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को बेहतर पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान विभिन्न गांवों में जागरूकता सत्र, स्वास्थ्य परामर्श, प्रदर्शन गतिविधियां और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके माध्यम से 1,540 से अधिक ग्रामीणों तक पहुंच बनाई गई, जबकि 1,061 से अधिक महिलाओं और किशोरियों ने अभियान में भाग लेकर मातृ स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य और संतुलित पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण, एनीमिया की रोकथाम, स्तनपान के महत्व, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली जैसे विषयों पर विशेष जानकारी दी गई। ग्रामीणों को दैनिक जीवन में पौष्टिक भोजन और स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। पहल को पंचायती राज संस्थानों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, समेकित बाल विकास सेवा, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला पर्यवेक्षकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से संचालित किया गया। कंपनी के अनुसार, इस समन्वय से सरकारी योजनाओं और पोषण संबंधी जागरूकता गतिविधियों की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच को और मजबूत करने में मदद मिली। 'मेरा गांव, स्वस्थ गांव' के तहत आयोजित सत्रों में संतुलित आहार, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों, मातृ पोषण और किशोरी स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया। बच्चों के जीवन के पहले 1,000 दिनों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए गर्भावस्था के दौरान देखभाल, आयरन एवं कैल्शियम सप्लीमेंट, स्तनपान और बच्चों के उचित पोषण की जानकारी दी गई।

किशोरियों के लिए आयोजित विशेष सत्रों में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन और विकास के इस महत्वपूर्ण चरण में पर्याप्त पोषण की जरूरत पर जागरूकता बढ़ाई गई। ग्रामीणों को स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इनमें बाजरा, दालें, मौसमी सब्जियां, फल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और बीज जैसे पौष्टिक विकल्पों की जानकारी दी गई। वहीं शर्करा युक्त पेय पदार्थों, पैकेज्ड स्नैक्स और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने की सलाह दी गई।

वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक विकास को बढ़ावा दे रही है। कंपनी के अनुसार, वह 4,100 से अधिक गांवों में पहुंच के साथ 26 लाख से अधिक लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रही है और वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप समावेशी विकास एवं दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव के लिए प्रतिबद्ध है।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम बदले, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए प्रावधान

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 29 सितंबर। जन्म और मृत्यु के देरी से पंजीकरण को लेकर अब नियम बदल जाएंगे। भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान राजस्थान में 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) गौरव अग्रवाल ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को नए प्रावधानों की अनिवार्य पालना के निर्देश दिए हैं। संशोधित नियमों के तहत एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष के भीतर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन के बाद जारी आदेश और निर्धारित शुल्क जरूरी होगा। वहीं, दो वर्ष से अधिक देरी से पंजीकरण के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म या मृत्यु की घटना की शुद्धता का सत्यापन किए जाने के बाद ही आदेश जारी किया जाएगा और निर्धारित शुल्क जमा कराने पर पंजीकरण हो सकेगा। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 अक्टूबर के बाद जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीकरण में संशोधित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।